International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 02 Issue 13
December 2015

भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा

शशिकान्त राव
एम.ए.राजीनति विज्ञान
इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

आधारभूत ढांचे का सिद्धान्त सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गये अब तक के निर्णयों में सर्वाधिक दूरगामी प्रभाव वाला सिद्ध हुआ है। इस सिद्धान्त की विशेषता ही है कि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख न होने के बावजूद भी यह निरन्तर प्रासंगिक बना रहा है। यह सिद्धान्त व्यापक प्रकृति का है जिसकी सीमा सर्वोच्च न्यायालय ने भी अब तक निश्चित नहीं की है। यह सिद्धान्त जीवन्तता के गुण से युक्त है अर्थात् यह पुराना नहीं पड़ सकता है जब भी कार्यपालिका या विधायिका द्वारा संविधान की मूल भावना के अतिक्रमण का प्रयास किया जायेगा यह सिद्धान्त प्रहरी की भांति संविधान की मूल भावना को संरक्षित रखेगा।

तत्वों एवं मूल भावना के सम्बन्ध में भारतीय संविधान का विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों में अद्वितीय स्थान है। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं विश्वभर के उत्कृष्ठ संविधानों से ली गई हैं, किन्तु कुछ विशेषताएं ऐसी भी हैं जो इसे अन्य संविधानों से विशिष्ट बनाती हैं। आधारभूत ढांचे का सिद्धान्त इन्हीं में से एक है। यह सिद्धान्त मौलिक रूप से भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है, यह वर्ष 1973 में केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया था। तब से लेकर अब तक यह सिद्धान्त भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त बनकर उभरा है। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो भारतीय संविधान के विकास को इस सिद्धानत ने बहुत दूर तक प्रभावित किया है। कुछ समय पूर्व 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को गैर–संवैधानिक घोषित करते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसी सिद्धान्त का हवाला दिया था ।

आधारभूत ढांचे के सिद्धान्त का प्रादुर्भाव

हालांकि आधारभूत ढांचे का सिद्धान्त स्पष्ट रूप में वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया, किन्तु इसकी पृष्ठभूमि संविधान के लागू होने के पश्चात से ही बननी अरम्भ हो गयी थी। वर्ष 1951 में पहले संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सम्पत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। उस समय सम्पत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, अतः इस सवंधान संशोधन को शंकरी प्रसाद वाद द्वारा चुनौती दी गई।

इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद–368 में संविधान संशोधन की शक्ति के अन्तर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति निहित है तथा यह भी स्पष्ट किया कि अनुच्छेद–13 में विधि (कानून) शब्द के अन्तर्गत मात्र सामान्य विधियां (कानून) ही आती हैं, संविधान संशोधन अधिनियम नहीं, अतः संसद संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है।

लेकिन वर्ष 1967 में गोलकनाथ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने द्वारा ही दी गई इस व्यवस्था को बदल दिया। इस वाद में 17वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई थी, जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकार लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय हैं, अतः संसद न तो मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है और न ही किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। संविधान संशोधन अधिनियम को इस वाद के निर्णय में अनुच्छेद–13 के अन्तर्गत विधि माना गया जिस कारण यह किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं था।

गोलकनाथ वाद की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने वर्ष 1971 में 24वां संविधान संशोधन पारित कर दिया। इस अधिनियम के तहत अनुच्छेद–13 तथा अनुच्छेद–368 में संशोधन कर घोषित किया गया कि अनुच्छेद–368 के अन्तर्गत संसद मौलिक अधिकारों को वापस ले सकती है या सीमित कर सकती है, और इस आशय का अधिनियम अनुच्छेद–13 के अन्तर्गत विधि नहीं माना जायेगा।

केशवानन्द भारती वाद एवं आधारभूत ढांचे का सिद्धान्त

वर्ष 1973 में केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में दिये गये अपने निर्णय की समीक्षा की तथा 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बनाये रखते हुए आधारभूत ढांचे का सिद्धान्त प्रतिपादित किया।

इस वाद के निर्णय को 13 जजों की पीठ ने घोषित किया कि हालांकि संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है, किन्तु ऐसा करते समय संसद संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती।

हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे में की कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। यह समय–समय पर विभिनन निर्णयों में सर्वोचच न्यायालय ने तय किया है।

सर्वोच्च न्यायालय के इस सिद्धान्त की प्रतिक्रिया में संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित कर दिया जिसके तहत अनुच्छेद–368 को परिवर्तित करके यह घोषित किया गया कि संसद की

विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती चाहे वह मौलिक अधिकारों के उल्लघंन के आधार पर ही क्यों न हो।

मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था

वर्ष 1980 में सर्वोचच न्यायालय ने 42वें संशोधन के प्रावधान को अविधिमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, जो संविधान की मूल विशेषता है। आधारभूत संरचना के सिद्धान्त को मिनर्वा मिल्स मामले पर लागू करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि ''चूंकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, अतः इस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम सीमा अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ सकती।

संसद अनुच्छेद–368 के अन्तर्गत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती, अथवा संविधान का रद्द अथवा इसकी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। सीमित शक्ति का उभोगकर्ता उस शक्ति का उपयोग करते हुए सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदल सकता।''

इस निर्णय के पश्चात पुनः वामन राव मामले (1981) में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के सिद्धान्त को मानते हुए स्पष्ट किया कि यह सिद्धानत 24 अप्रैल, 1973 के बाद अधिनियमित सभी संविधान संशोधनों पर लागू होगा, क्योंकि इसी दिन केशवानन्द भारती वाद का निर्णय आया था।

आधारभूत संरचना में शामिल तत्व

अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किसी भी फैसले में आधारभूत संरचना में क्या शामिल है क्या नहीं, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। विभिन्न निर्णयों के आधार पर आधारभूत संरचना में निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया जा सकता है।

1. संविधान की सर्वोच्चता
2. भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतान्त्रिक तथा गणराज्यतात्मक प्रकृति
3. संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र
4. विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य शक्ति का विभाजन
5. संविधान का संघीय स्वरूप
6. राष्ट्र की एकता व अखण्डता
7. कल्याणकारी राज्य अर्थात् सामाजिक आर्थिक न्याय
8. न्यायिक समीक्षा

9. वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा
10. संसदीय शासन प्रणाली
11. विधि का शासन
12. मौलिक अधिकारों तथा नीति–निदेशक सिद्धान्तों के बीच सौहार्द और सन्तुलन
13. समत्व का सिद्धान्त
14. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव
15. न्यायपालिका की स्वतंत्रता
16. संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति
17. न्याय तक प्रभावी पहुंच
18. तर्कसंगत का सिद्धान्त
19. अनुच्छेद–32, 136,141 तथा 142 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां

विधायिका एवं कार्यपालिका का पक्ष

भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धानत लम्बे समय से न्यायपालिका एवं विधायिका के मध्य टकराव का करण बना हुआ है। भारतीय राजव्यवस्था में शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त लागू है। इस सिद्धान्त के तहत संविधान में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य अधिकार क्षेत्र का विभाजन किया गया है, जिसके अनुसार विधि निर्माण विधायिका का कार्य है जबकि उसे लागू कराना कार्यपालिका का पक्ष है।

न्यायपालिका का कार्य यह जांच करना है कि बनाया गया कानून संविधान सम्मत है या नहीं। संविधान समय की मांग के अनुसार परिवर्तित किया जा सके इसलिए संसद को धारा–368 के तहत इसमें संशोधन का अधिकार दिया गया है। यही अधिकार है जिसे बाधित करने का अरोप न्यायपालिका पर लगाया जाता है। विधायिका द्वारा इसे गैर–निर्वाचितों का अधिनायकत्व लागू करने के समान कहा जाता है।

निष्कर्ष

आधारभूत ढांचे का सिद्धान्त भले ही कार्यपालिका एवं विधायिका के द्वारा आलोचना एवं न्यायपालिका द्वारा अपनी सीमाओं के अतिक्रमण के रूप में देखा जाता रहा हो, लेकिन यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त है जो कार्यपालिका एवं विधायिका को निरंकुश होने से रोकता है। स्वतंन्त्रता पश्चात भारत में अनेक मौके ऐसे आये हैं, जब विधायिका में एक ही दल को प्रचण्ड बहुमत मिल गया।

अतः इसी प्रचण्ड बहुमत पर सवार होकर अनेक बार ऐसे निर्णय भी कार्यपालिका द्वारा लिये गये जो संविधान की मूल भावना के विरूद्ध थे, अतः अपने इस सिद्धान्त के माध्यम से न केवल न्यायपालिका ने विधायिका व कार्यपालिका को निरंकुश होने से रोका है, बल्कि लोकतन्त्र की रक्षा का कार्य भी किया है। इसके अलावा यह सिद्धान्त संविधान की जीवन्तता का प्रमाण भी है। यह एक ऐसा विचार है, जो न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है। इस सिद्धान्त ने संविधान की कठोरता और लचीलेपन को मजबूत ही किया है। संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन के दायरे से बाहर रखकर तथा कुछ भागों को संशोधन प्रक्रिया के अन्तर्गत बनये रखने से कठोरता व लचीलेपन का सन्तुलन निश्चित रूप से पुष्ट ही हुआ है।

References

"The basic features". The Hindu. 2004-09-26. Retrieved 2012-07-09.

Austin, Granville (1999). Working a Democratic Constitution - A History of the Indian Experience. New Delhi: Oxford University Press. pp. 258–277

Jasdeep Randhawa. "Understanding Judicialization Of Mega-Politics : The Basic Structure Doctrine And Minimum Core". Jus Politicum. Retrieved 2012-07-17

"Indian Constitution: Sixty years of our faith". The Indian Express. 2010-02-02. Retrieved 2013-12-01.

"India - The Constitution". Countrystudies.us. Retrieved 2013-12-01.

H M Seervai, 'Constitutional Law of India'

V.N. Shukla 'Constitution of India' 10th edition

Anuranjan Sethi (October 25, 2005), 'Basic Structure Doctrine: Some Reflections". SSRN 835165

Conrad, Dietrich, Law and Justice, United Lawyers Association, New Delhi (Vol. 3, Nos. 1-4; pages 99–114)

Keshavanand Bharti v. State of Kerala AIR 1973 SC1461: (1973) 4 SCC.225.

Article 368 of the Constitution of India

Sajjan Singh v. State of Rajasthan AIR, 1965 SC 845

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 02 Issue 13
December 2015

Golak Nath v.State of Punjab, (1967) 2 SCR 762: AIR 1967 SC

Article on "Basic Structure Doctrine and its Widening Horizons" by V.R.Jayadevan, published in CULR, Vol.27, March 2003,p.333.

Waman Rao v. Union of India, AIR 1981,SC271